



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 340) पटना, बुधवार, 3 जून 2020

सं० 03 / Smart City-02-07/2017-1011
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

29 मई 2020

विषय:— केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ शहर में Smart City योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण विभागीय स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा किये जाने की स्वीकृति।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I(Vol-II) दिनांक-25.05.2016 द्वारा Smart City मिशन योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर, पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-28/06/2017 द्वारा पटना शहर, पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक 28.06.2017 द्वारा मुजफ्फरपुर शहर एवं पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक 19.01.2018 द्वारा बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर शहर एवं बिहार शरीफ का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से चयनित शहरों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्यों को सम्पादित करने हेतु एक SPV (Special Purpose Vehicle) के रूप में भागलपुर स्मार्ट सिटी लि० कम्पनी का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2429 दिनांक-28.10.2016/पटना स्मार्ट सिटी लि० कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०-2261 दिनांक-05.10.2017/मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लि० कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०-2262 दिनांक-05.10.2017 एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि० कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प संख्या-1061 दिनांक-27.04.2018 द्वारा किया गया है।

2. स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित SPV के संचालन हेतु पाँच वर्षों के लिए संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। भागलपुर, पटना एवं

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए विभागीय संकल्प सं०-1197 दिनांक-17.05.2018 एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के लिए विभागीय संकल्प सं०-683 दिनांक-05.03.2019 द्वारा विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है जिसमें SPV के सभी पदों के शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता का निर्धारण किया गया है। किन्तु विभिन्न स्मार्ट सिटी के SPV द्वारा इनमें से कई पदों पर कई बार विज्ञापन निकाले जाने के बावजूद भी नियुक्तियाँ नहीं की जा सकी है, क्योंकि इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित अनुभव इत्यादि के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण सभी स्मार्ट सिटी में ऐसे अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं तथा इसके कारण स्मार्ट सिटी के कार्यों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

3. कंडिका-2 के आलोक में स्मार्ट सिटी योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित SPV (Special Purpose Vehicle) के विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है :-

- | | |
|---|--------------|
| 1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | — अध्यक्ष |
| 2. वित्त विभाग के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 3. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 4. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग | — सदस्य |
| 5. प्रभारी पदाधिकारी, स्मार्ट सिटी योजना,
नगर विकास एवं आवास विभाग | — सदस्य सचिव |

4. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-28.05.2020 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

5. अतः केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ शहर में Smart City योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण विभागीय स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा किये जाने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित किया जाता है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि०, पटना, भागलपुर एवं तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पटना, भागलपुर, नालन्दा एवं मुजफ्फरपुर/CEO, Smart City Ltd/ नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ एवं मुजफ्फरपुर/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,

अभय राज,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 340-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>